



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 1978

वैशाख 7, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1172/सत्रह-वि०-1--17-1978

लखनऊ 27 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1978 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विक्री-कर ऐक्ट, 1948 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों के लिए उपबन्ध बनाने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 15,
सन् 1948 की
धारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की (जिसमें आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में, खण्ड (झ) में, स्पष्टीकरण (2) में, उपखण्ड (1) में शब्द “प्रतिष्ठान के व्यय के, जब कि ऐसा व्यय पृथक् रूप से लिया गया हो” के स्थान पर शब्द “प्रतिष्ठान के व्यय के या बिक्री या क्रय-कर के रूप में बसूल की गयी धनराशि के, जबकि ऐसा व्यय या धनराशि पृथक् रूप से ली गयी हो” रख दिये जायेंगे और चार नवम्बर, 1974 से पच्चीस मई, 1975 की अवधि को छोड़ कर सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 3 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द ‘पच्चीस हजार रुपये’ के स्थान पर शब्द ‘पचास हजार रुपये’ रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

“(4) जब उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट, या उसके अधीन विज्ञापित, धनराशि किसी कर-निर्धारण वर्ष में परिवर्तित कर दी जाय, तब किसी व्यापारी द्वारा इस धारा के अधीन देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :—

(क) इस प्रकार परिवर्तन के पूर्व की अवधि से सम्बन्धित विक्रय-धन पर मानों उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि परिवर्तित न की गयी हो; और

(ख) शेष पर, मानों परिवर्तित धनराशि सभी सारवाम् दिनांक पर प्रवृत्त रही हो।”

4—मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (क) में, अन्त में आया हुआ शब्द “और” निकाल दिया जायगा; और

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे और दिनांक एक अप्रैल, 1978 से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

“(ख) सभी प्रकार की स्पिट और स्पिटमश शराब जिसमें मेथाइल अलकोहल सम्मिलित है किन्तु देशी शराब सम्मिलित नहीं है और जिसमें संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 में यथा परिभाषित अलकोहल भी नहीं है, के विक्रय धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर बीस प्रतिशत की दर पर या पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे;

(ग) प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर, अनुसूची के स्तम्भ तीन में विनिर्दिष्ट स्थल पर, पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे और उक्त अनुसूची में किसी प्रविष्टि में समाविष्ट भिन्न-भिन्न माल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) पाम आयल के सम्बन्ध में निर्माता या आयातकर्ता के विक्रय-धन पर आठ प्रतिशत की दर पर या पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, कर देय होगा; और

(2) राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अनुसूची से किसी माल के सम्बन्धित कोई प्रविष्टि निकाल सकती है और इस प्रकार निकाली गयी किसी प्रविष्टि को इसी तरह पूर्ववत् रख सकती है और किसी प्रविष्टि को निकालने या पूर्ववत् रखने की कोई ऐसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर

उक्त अनुसूची, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदनुसार संशोधित समझी जायगी।”

5—मूल अधिनियम की धारा-3-क क क क में, शब्द 'धारा 3-क क क में घोषणा-पत्र देकर' के पश्चात् शब्द 'या अन्यथा', और अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड, बढ़ा दिया जायगा और दिनांक पहली अप्रैल, 1974 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

धारा 3 क क क क का संशोधन

“प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह प्रमाणित कर दे कि क्रय किये गये माल पर धारा 3-क क क के अधीन पहले ही कर दिया जा चुका है तो इस धारा के अधीन कोई कर देय न होगा।”

6—मूल अधिनियम की धारा 3-घ में,

धारा 3-घ का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण 2 में, शब्द और अंक “या डिफेंस एण्ड इन्टरनल सिव्वायोरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 के नियम 114 के अधीन” निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3-क) में, शब्द “बारह हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास हजार रुपये” रख दिये जायेंगे; और प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (3) निकाल दिया जायगा और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से, यथास्थिति, रखा गया या निकाला गया समझा जायगा।

7—मूल अधिनियम की धारा 3-ङ निकाल दी जायगी, और तदव से निकाली गयी समझी जायगी।

धारा 3-ङ का निकाला जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, उपधारा (1) में,—

धारा 4-ख का संशोधन

(एक) शब्द, अंक और अक्षर “धारा 3, 3-क, 3-कक, 3-घ और 3-ङ” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “धारा 3, 3-क, 3-कक, 3-ककक और 3-घ” रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे;।

(दो) शब्द, अंक और अक्षर “धारा 3-ङ” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “धारा 3-कककक” रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे; और

(तीन) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और दिनांक पहली मई, 1977 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

“(क-1) यदि धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन कर-योग्य कोई घोषित माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा, जो उसका प्रथम क्रेता हो, किसी ऐसे दूसरे व्यापारी को, बेचा या सम्भरित किया जाय जिसके पास उसके सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया विधिमान्य मान्यता का प्रमाण-पत्र हो तो वह व्यापारी, जिसने प्रथम क्रय किया, ऐसे क्रय के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों और निर्वन्धनों के अधीन रहते हुए जो विज्ञापित द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, कर से मुक्त होगा या ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि धान के सम्बन्ध में इस खण्ड के अधीन किसी विज्ञापित को किसी ऐसे दिनांक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो पहली मई, 1977 के पूर्व का दिनांक न हो :

अत्ररत प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को भी किसी ऐसे दिनांक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो पहली मई, 1977 के पूर्व का दिनांक न हो।”

9—मूल अधिनियम की धारा 7-क में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक “उपधारा (3)” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “उपधारा (3-क)” रख दिये जायेंगे और दिनांक दस फरवरी, 1972 से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 7-क का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 7-घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

नई धारा 7-क और 7-च का बढ़ाया जाना

“7-ङ (1) निर्धारित रीति से अवधारित विक्रय-धन की धनराशि को, यदि ऐसी विक्रय धन, कर धनराशि दस रुपये के गुणक में न हो, निकटतम दस रुपये के गुणक आदि को पूर्णांक में पूर्णांक किया जायगा, अर्थात्—दस रुपये के ऐसे भाग को जो करना पांच रुपये से कम हो, छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग को दस रुपया गिना जायगा। इस प्रकार पूर्णांक की गयी धनराशि को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए करदाता का विक्रय-धन समझा जायगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, शुल्क, ब्याज, अर्थ-दण्ड या किसी अन्य धनराशि को या वापस करने योग्य धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि में एक रुपये का भाग हो, निकटतम रुपये में पूर्णांक किया जायगा, अर्थात् एक रुपये के ऐसे भाग को, जो पचास पैसे से कम हो, छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग को एक रुपया गिना जायगा।

7-च—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए अल्प धनराशि की अन्तर्ग्रस्त धनराशि पांच रुपये से कम हो तो इस अधिनियम के अधीन वसूली या वापसी कोई ऐसा कर, शुल्क, ब्याज या अर्थ-दण्ड न तो वसूल किया जायगा को छोड़ दिया और न ऐसी वापसी की अनुज्ञा दी जायगी।”

जाता।

धारा 8-क का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से किये गये समझे जायेंगे, अर्थात्:—

(क) उपधारा (1) में:—

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द और अंक “25,000 रु0 से अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अथवा धारा 3-घ की उपधारा (3) के, जैसी भी दशा हो, अधीन विज्ञापित की जाय” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “30,000 रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि से जो, यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (2) के या धारा 3-घ की उपधारा (3-क) के अधीन विज्ञापित की जाय” रख दिये जायेंगे; और

(दो) खण्ड (घ) में, शब्द और अंक “25,000 रु0 के अथवा ऐसी अधिक धनराशि के, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अथवा धारा 3-घ की उपधारा (3) के, जैसी भी दशा हो, अधीन विज्ञापित की जाय” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “30,000 रु0 के या ऐसी अधिक धनराशि के जो, यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (2) के या धारा 3-घ की उपधारा (3-क) के अधीन विज्ञापित की जाय” रख दिये जायेंगे;

(तीन) शब्द “रजिस्ट्री के लिए” के स्थान पर शब्द “यथास्थिति, रजिस्ट्री या नवीकरण के लिए” रख दिये जायेंगे, और अन्त में आये हुए शब्द “व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के लिए या उसकी स्वेच्छा से और अधिक अवधि के लिए, जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की न होगी, दिया जा सकता है।”

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

“कर निर्धारण वर्ष 1978-79 से रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र तीन कर निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए दिया जायेगा और अनुवर्ती नवीकरणों के लिए प्रार्थना-पत्र प्रत्येक तीन वर्ष के लिए दिया जायेगा जिसे आगे त्रैवार्षिक नवीकरण कहा गया है।”

(चार) अन्त में निम्नलिखित, प्रतिबन्धात्मक खण्ड और स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

“प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो इकतीस मार्च, 1979 के पश्चात् किसी समय व्यापार प्रारम्भ करता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण त्रैवार्षिक नवीकरण की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय समाप्त होता है, ऐसी कम अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण या, यथास्थिति, नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है जो ऐसे दिनांक को समाप्त होती हो जिसके पश्चात् उक्त उपबन्धों के अधीन आगामी त्रैवार्षिक नवीकरण अपेक्षित होता हो:

अप्रतिबन्ध यह है कि पहली अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र 30 जून, 1978 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित का योग विक्रय धन होगा—

(1) धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित माल के क्रय का क्रय-धन या विक्रय का विक्रय-धन जो भी अधिक हो;

(2) अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर योग्य क्रय का क्रय-धन; और

(3) सभी अन्य माल के विक्रय का विक्रय-धन।”

(ख) उपधारा (1-क) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

“(ग) किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए व्यापारी द्वारा पचहत्तर रुपये का शुल्क देय होगा। किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए व्यापारी द्वारा पचास रुपये का शुल्क देय होगा।”;

(ग) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, जहां कहीं भी शब्द ‘या क्रय कर’ आये हों, निकाल दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द “अड़तालिस हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास हजार रुपये” और शब्द “चार हजार रुपये”, जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द “पचास हजार रुपये के बारहवें भाग” रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द “क्रय या विक्रय-कर” के स्थान पर शब्द “विक्रय-कर” रख दिये जायेंगे; और

(इ) उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

12—मूल अधिनियम की धारा 9 में, निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा और पहली अप्रैल, 1978 से किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

धारा 9 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द “व्यापारी जिसे” के स्थान पर शब्द “व्यापारी या कोई व्यक्ति जो” और शब्द “पर आपत्ति हो” के स्थान पर शब्द “से क्षब्ध हो” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(3-क) अपील सुनने वाला अधिकारी अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर, और विक्री-कर कमिश्नर को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, अपीलकर्ता द्वारा देय कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि की वसूली स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) इस उप धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के साथ प्रस्तुत न किया जाये, और जब तक कि अपीलकर्ता ने उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा जमा किये जाने के लिए अपेक्षित कर या शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त, यथा-स्थिति, कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक-तिहाई धनराशि का भुगतान का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो;

(2) अपील सुनने वाला अधिकारी, विशेष और पर्याप्त कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कर, शुल्क या अर्थदण्ड की एक-तिहाई धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती खण्ड की अपेक्षाओं से छूट दे सकता है या उन्हें शिथिल कर सकता है;

(3) इस उपधारा के अधीन कोई स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि अपीलकर्ता ने, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, उस धनराशि के भुगतान के लिये जिसकी वसूली स्थगित की गई हो कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो।”;

(ग) उपधारा (6) में, शब्द “इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों” के स्थान पर शब्द “इस धारा के अधीन अपीलों या अन्य प्रार्थना-पत्रों” रख दिये जायेंगे।

13—मूल अधिनियम की धारा 10 में, शब्द “अपील या पुनरीक्षण” जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द “पुनरीक्षण” रख दिया जायेगा और पहली अप्रैल, 1978 से रखा गया समझा जायेगा।

धारा 10 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 11 और 11-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

धारा 11 और 11-क के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

“11—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये आदेश विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण से क्षुब्ध हो, उक्त आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय में इस आधारा पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले में विधिप्रश्न अन्तर्ग्रस्त है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा आदेश सम्बद्ध व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा प्रतिस्थापित इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) पूर्व किसी समय तामील किया गया हो, और प्रार्थना-पत्र देने के लिए उपधारा (1) में, जैसी कि वह उक्त दिनांक के पूर्व थी, निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि उक्त दिनांक को समाप्त न हुई हो तो क्षुब्ध व्यक्ति उक्त दिनांक से साठ दिन के भीतर पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) कोई व्यक्ति, जो पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के आदेश से जिसमें इस धारा के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, क्षुब्ध हो, यदि उपधारा (4) के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने के लिए परिसीमा समाप्त न हुई हो, उक्त दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन, जैसी कि वे उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थीं, कोई प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि समाधान के लिए एक सौ बीस दिन की अवधि जैसा कि उक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, समाप्त हो गयी है, तो ऐसा प्रार्थी धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध उक्त दिनांक से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए इस आधार पर आवेदन कर सकता है कि मामले में विधि-प्रश्न है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके साथ खजाने का चालान न हो जिसमें शीर्षक "040—बिक्री-कर केन्द्रीय—राज्य बिक्री-कर अधिनियम के अधीन प्राप्तियाँ—(4) अन्य प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत दो सौ पचास रुपये जमा करना दक्षित हो:

प्रतिबन्ध यह है कि बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण की स्थिति में, ऐसी धनराशि जमा करना आवश्यक न होगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन, जैसी कि वे उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, उच्च न्यायालय में समाधान (Reference) करने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र, जो उक्त दिनांक को पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, उच्च न्यायालय को हस्तान्तरित हो जायेगा, और यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाय कि मामले में विधि-प्रश्न है तो वह उसे इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के रूप में ग्रहण कर सकता है और उसका निस्तारण तदनुसार कर सकता है।

(6) यदि उच्च न्यायालय ने उक्त दिनांक के पूर्व पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी से उपधारा (4) के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, मामले का विवरण समाधान के लिए उच्च न्यायालय को भेज देने की अपेक्षा की हो तो ऐसा अधिकारी, यथाशीघ्र, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा और ऐसा समाधान इस धारा के अधीन पुनरीक्षण समझा जायेगा और उसका निस्तारण तदनुसार किया जायेगा।

(7) पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के आदेशानुसार देय, कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की वसूली, जिसे इस धारा के अधीन पुनरीक्षित करने की मांग की गयी हो, पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र का निस्तारण होने तक स्थगित नहीं की जायेगी, किन्तु यदि ऐसे पुनरीक्षण में दिये गये अन्तिम आदेश के परिणामस्वरूप ऐसे कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि कम कर दी जाय तो अधिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(8) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् अन्तर्प्रस्त विधि-प्रश्न का निर्णय करेगा, और यदि ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि को फिर से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय धनराशि का फिर से अवधारण करने के लिए निर्णय की एक प्रति, यथास्थिति, पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को भेज सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी ऐसा आदेश देगा जो उक्त निर्णय के अनुसार मामले का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हो।

(9) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्ध, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिये दिये गये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "कोई व्यक्ति" के अन्तर्गत बिक्री-कर कमिश्नर भी है।

16—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और दिनांक पहली मार्च, 1973 से रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्—

धारा 22 का संशोधन

“(1) कर निर्धारक, अपील सुनने वाला, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, अभिलेख के देखने से ही प्रकट होने वाली किसी भूल का सुधार उस आदेश के, जिसमें सुधार किया जाता है, दिनांक से तीन वर्ष के भीतर, स्वप्रस्ताव से या व्यापारी या किसी अन्य हितवद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस धारा के अधीन प्रार्थना-पत्र तीन वर्ष की उक्त अवधि के भीतर दिया गया है तो संबद्ध अधिकारी उसका निस्तारण तीन वर्ष के पश्चात् भी कर सकता है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना संबद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसको सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया हो।”

17—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

प्रथम अनुसूची का संशोधन

(क) वर्तमान प्रविष्टि 67 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

1

2

3

“67-क पाम आयल नि० अथवा आ०” ;

(ख) वर्तमान प्रविष्टि 89 निकाल दी जायगी और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से निकाली गयी समझी जायगी।

18—(1) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-दो-334/दस-1012-1971, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 को दिनांक पहली दिसम्बर, 1973 से विखंडित समझा जायेगा।

विज्ञप्ति का संशोधन

(2) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-दो-9060/दस-11(2)-75, दिनांक 2 जनवरी 1976 में शब्द “तार तथा तार की जाली” के स्थान पर शब्द “तार की जाली” रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(3) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-दो-9957/दस-11-(2)-75, दिनांक 6 फरवरी, 1978 जारी किये जाने के दिनांक से ही विखंडित समझी जायगी।

19—उत्तर प्रदेश विक्री-कर नियम, 1948 के नियम 25-क में,—

नियम 25-क का संशोधन

(1) उप नियम (1) में, शब्द “जारी करने” के पश्चात् शब्द “या उसका नवीकरण करने” रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1976 से रखे गये समझे जायेंगे;

(2) उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिया जायगा और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

“(1-क) कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 से मान्यता के प्रमाण-पत्र या उसके नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए दिया जायगा और अनुवर्ती नवीकरणों के लिए प्रार्थना-पत्र प्रत्येक तीन वर्ष के लिए दिया जायगा जिसे आगे त्रैवार्षिक नवीकरण कहा गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो 31 मार्च, 1979 के पश्चात् किसी समय व्यापार प्रारम्भ करता है या जिसकी मान्यता या नवीकरण त्रैवार्षिक नवीकरण की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय समाप्त होता है, यथास्थिति, मान्यता के प्रमाण-पत्र या उसके नवीकरण के लिए ऐसी कम अवधि के लिये आवेदन कर सकता है जो ऐसे दिनांक को समाप्त होती हो जिसके पश्चात् उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन आगामी त्रैवार्षिक नवीकरण अपेक्षित होता हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पहली अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र 30 जून, 1978 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।”;

(3) उप नियम (3) में, शब्द और अंक “50 रुपये” और “25 रुपये” के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक “100 रुपये” और “50 रुपये” रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से रखे गये समझे जायेंगे;

(4) उप नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

“(5) उप नियम (1-क) और (12) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मान्यता का प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, उप नियम (1) या उप नियम (1-क) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से प्रभावी होगा।”;

(5) उप नियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिया जायगा; अर्थात्—

“(12) 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र उक्त दिनांक से प्रभावी न रह जायेगा, और सम्बन्धित व्यापारी उसके नवीकरण के लिए इस नियम के उपबन्धों के अनुसार आवेदन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष 1976-77 या 1977-78 के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र 30 जून, 1978 तक दिया जा सकता है, और उस दशा में नवीकरण संबद्ध कर निर्धारण वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होगा।”

वैधीकरण और
संक्रमणकालीन
उपबन्ध

20—(1) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व कृत कोई कार्य या कार्यवाही, जो इस अध्याय द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, वैसे ही विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और, सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायेगी मानों इस अध्याय के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

(2) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में आयी किसी भूल का सुधार कर सकता है, यदि ऐसी भूल इस अध्याय द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के कारण उत्पन्न हुई हो। ऐसा सुधार इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष के अवधि के भीतर, या इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर को बढ़ाना होगा; तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना संबद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसको सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया हो।

(3) जहां, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय या अधिकारी ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो, या ऐसे कर निर्धारण उद्ग्रहण या संग्रह को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखंडित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश, इस अध्याय के उपबन्धों के परिणामस्वरूप, इस अध्याय द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय वहां उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री-कर कमिश्नर ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से चार मास के भीतर कर-निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसे अधिकारी या न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो इस अध्याय के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1), (2) और (3) के प्रयोजनार्थ, धारा 18 और 19 के उपबन्ध भी मूल अधिनियम के संशोधन समझ जायेंगे।

(4) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) 2 सितम्बर, 1976 से 10 सितम्बर, 1976 की अवधि में,—

(एक) खाद्यान्न जिसमें अनाज और दालें भी सम्मिलित हैं, किन्तु जिसमें सावा, मंडुआ, काकुन और मंझरी सम्मिलित नहीं हैं, और

(दो) ऋड आयात के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर उपभोक्ता के हाथ बिक्री के स्थल पर, चार प्रतिशत की दर से कर देय होगा; और

(ख) 1 अप्रैल, 1966 से 30 सितम्बर, 1977 की अवधि में ऊनी कालीन के सूत (जिसमें बिना कता ऊनी धागा, जिसे साधारणतया “देसी काती” कहा जाता है, भी सम्मिलित है) के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर दो प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

(5) मूल अधिनियम की धारा 8-क में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धारा की उपधारा (1-क) के खण्ड (ग) और (घ) को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित किये गये हैं, कर निर्धारण वर्ष 1976-77 के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए सभी प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में चाहे ऐसा प्रार्थना-पत्र पहली अप्रैल, 1976 के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, लागू समझा जायेगा।

अध्याय—तीन

[भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

21--इस अध्याय के उपबन्धों को दिनांक 1 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

22--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में, खण्ड (27) निकाल दिया जायगा।

23--मूल अधिनियम की धारा 3-एए निकाल दी जायगी।

24--मूल अधिनियम की धारा 11-क निकाल दी जायगी।

25--मूल अधिनियम की धारा 64-क निकाल दी जायगी।

26--मूल अधिनियम की अनुसूची 1-वी में, अनुच्छेद 25-ए निकाल दिया जायगा।

अधिनियम संख्या
2 सन् 1899 की
धारा 2 क
संशोधन

धारा 3-एए का
निकाला जाना
धारा 11-क का
निकाला जाना

धारा 64-क का
निकाला जाना
अनुसूची 1-वी
का संशोधन

अध्याय—चार

प्रकीर्ण

27--(1) उत्तर प्रदेश करधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1977 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो और तीन में उल्लिखित मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1172/XVII-V-1-17-1978

Dated Lucknow, April 27, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Karadhan Vidhi (Sanshodhan Aur Vaidhikaran) Adhinyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 11 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 26, 1978;

THE UTTAR PRADESH TAXATION LAWS (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1978

[U. P. ACT No. 11 OF 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the U. P. Sales Tax Act, 1948 and the Indian Stamp Act, 1899 and to validate certain acts and proceedings and to provide for matters incidental thereto or connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

Preliminary

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Taxation Laws (Amendment and Validation) Act, 1978. Short title.

CHAPTER II

Amendments in the U. P. Sales Tax Act, 1948

Amendment of section 2 of U. P. Act XV of 1948.

2. In section 2 of the U. P. Sales Tax Act, 1948 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), in clause (1), in Explanation II, in sub-clause (i), for the words "cost of installation when such cost is separately charged", the words "cost of installation or the amount realised as sales or purchase tax, when such cost or amount is separately charged" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, except during the period from the fourth day of November, 1974, to the twenty-fifth day of May, 1975.

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), for the words "twenty-five thousand rupees," the words "fifty thousand rupees" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from the first day of April, 1978 ;

(b) for sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted*, and be deemed to have been *substituted* with effect from the first day of April, 1978, namely:—

"(4) Where the amount specified in, or notified under, sub-section (2) is altered during an assessment year, the tax payable by a dealer under this section shall be computed as follows:—

(a) on the turnover relatable to the period prior to such alteration as though the amount specified in or notified under sub-section (2) had not been altered; and

(b) on the remainder, as though the altered amount had been in force on all material dates."

Amendment of section 3-A.

4. In section 3-A of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) in clause (a), at the end, the word "and" shall be *omitted* ; and

(ii) for clause (b), the following clauses shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from the first day of April, 1978, namely—

"(b) on the turnover of spirits and spirituous liquors of all kinds, including methyl alcohol but excluding country liquor and also excluding alcohol, as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 at the point of sale by manufacturer or importer at the rate of twenty per cent or at such rate not exceeding twenty-five per cent as the State Government may, by notification, declare;

(c) on the turnover in respect of goods specified in the second column of the First Schedule, at the point specified in the third column thereof at such rate not exceeding fifteen per cent as the State Government may, by notification, declare and different rates may be declared in respect of the different goods comprised in any entry in the said Schedule :

Provided that—

(i) the turnover of the manufacturer or importer in respect of Palm oil shall be liable to tax at the rate of eight per cent or at such rate not exceeding fifteen per cent as the State Government may, by notification, declare; and

(2) the State Government may, by notification omit the entry relating to any goods from the First Schedule and may in the like manner restore any entry so omitted and upon the issue of any such notification omitting or restoring any entry, the said Schedule shall, subject to the provisions of sub-section (3), be deemed to be amended accordingly."

Amendment of section 3-AAAA.

5. In section 3-AAAA of the principal Act, after the word, figure and letters "section 3-AAA", the words "or otherwise", and at the end, the following proviso, shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* with effect from the first day of April, 1974, namely :—

"Provided that if the dealer proves to the satisfaction of the assessing authority that the goods purchased have already been subjected to tax under section 3-AAA, no tax under this section shall be payable."

Amendment of section 3-D.

6. In section 3-D of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), in Explanation II, the words and figures "or under rule 114 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971" shall be *omitted* ;

(b) In sub-section (3-A), for the words "twelve thousand rupees", the words "fifty thousand rupees," shall be *substituted*, and in the proviso clause (3) shall be *omitted*, and be deemed to have been *substituted* or *omitted*, as the case may be, with effect from the first day of April, 1978;

7. Section 3-E of the principal Act shall be *omitted*, and be deemed always to have been *omitted*.

Omission of section 3-E.

8. In section 4-B of the principal Act, in sub-section (1),—

Amendment of section 4-B.

(i) for the words, figures and letters, "sections 3, 3-A, 3-AA, 3-D and 3-E" the words, figures and letters, "sections 3, 3-A, 3-AA, 3-AAAA and 3-D" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from the first day of April, 1974;

(ii) in clause (a) for the word, letter and figure, "Section 3-E", the word, letter and figures, "Section 3-AAAA" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from the first day of April, 1974; and

(iii) after clause (a), the following clause shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* with effect from the first day of May, 1977, namely:—

"(a-1) Where any declared goods liable to tax under sub-section (1) of section 3-D are sold or supplied by a dealer, who is the first purchaser thereof, to another dealer, holding a valid recognition certificate issued under sub-section (2) in respect thereof, the dealer who made the first purchase shall in respect of such purchase and subject to such conditions and restrictions as may be specified by notification in that behalf, be exempt from tax or be liable to tax at such concessional rate as maybe notified by the State Government :

Provided that any notification under this clause in respect of paddy may be made effective from a date not earlier than the first day of May, 1977 :

Provided further that the rules to carry out the objects of this clause may also be made effective from date not earlier than the first day of May, 1977."

9. In section 7-A of the principal Act, in sub-section (1), for the word and figure "sub-section (3)", the word, figure and letter "sub-section-(3-A)", shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from the tenth day of February, 1972.

Amendment of section 7-A.

10. After section 7-D of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Insertion of new sections 7-E and 7-F.

"7-E.(1) The amount of turnover, determined in the prescribed manner, shall, if such amount is not in the multiple of ten, be rounded off to the nearest multiple of ten rupees, that is to say, a part of ten rupees which is less than five rupees shall be ignored and any other part shall be counted as ten rupees. The amount so rounded off shall be deemed to be the turnover of the assessee for the purpose of assessment of tax under this Act.

(2) The amount of tax, fee, interest, penalty or any other sum payable or the amount of refund due under the provisions of this Act shall, where such amount contains part of a rupee, be rounded off to the nearest rupee, that is to say, a part of a rupee which is less than fifty paise shall be ignored and any other part shall be counted as one rupee.

7-F. Notwithstanding anything contained in this Act, no tax, fee, interest or penalty under this Act shall be recovered and no refund shall be allowed if the amount, involved for any assessment year is less than five rupees."

11. In section 8-A of the principal Act, the following amendments shall be made and be deemed to have been made with effect from the first day of April, 1978 namely :—

Amendment of section 8-A.

(a) In sub-section (1),—

(i) in clause (c), for the words and figures "Rs.25,000 or such larger amount as may be notified under sub-section (2) of section 3 or sub-section (3) of section 3-D, as the case may be", the words, figures and letters "Rs.30,000 or such larger amount as may be notified under sub-section (2) of section 3 or sub-section (3-A) of section 3-D, as the case may be" shall be *substituted*; and

(ii) in clause (d), for the words and figures "Rs. 25,000 or of such larger amount as may be notified under sub-section (2) of section 3 or sub-section (3) of section 3-D, as the case may be", the words, figures and letters "Rs.30,000 or of such larger amount as may be notified under sub-section (2) of section 3 or sub-section (3-A) of section 3-D, as the case may be," shall be substituted ;

(iii) after the words "shall apply for registration", the words "or renewal, as the case may be", shall be inserted, and for the words "the application for registration by the dealer may be moved for the assessment year, or at his option for a longer period, but not exceeding three years at a time," occurring at the end, the following words shall be substituted, namely:—

"The application for registration or renewal shall, as from the assessment year 1978-79, be made for a period of three assessment years and the applications for subsequent renewals shall be made for every three years hereinafter referred to as the triennial renewal."

(iv) at the end, the following provisos and the explanation shall be inserted namely:—

"Provided that a dealer commencing business at any time after the thirty-first day of March, 1979 or whose registration or renewal expires at any time before the expiry of the triennial renewal, may apply for registration or renewal, as the case may be, for such reduced period as shall expire on such date after which next triennial renewal under the aforesaid provision becomes due :

Provided further that the application for the renewal of registration for the period of three years beginning from the first day of April, 1978, may be submitted by the thirtieth day of June, 1978.

Explanation—For the purposes of clause (c) or clause (d), the turnover shall be the aggregate of the turnover of:—

(i) purchases or of sales, whichever is higher, of goods notified under sub-section (1) of section 3-D;

(ii) purchases liable to tax under any other provisions of the Act; and

(iii) sales of all other goods." ;

(b) in sub-section (1-A), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) A fee of rupees seventy-five shall be payable by the dealer for registration for an assessment year or part thereof. A fee of rupees fifty shall be payable by the dealer for renewal of registration for an assessment year or part thereof."

(c) in sub-section (2) in clause (b) the words "or purchase" wherever occurring, shall be omitted ;

(d) in sub-section (4),—

(i) in clause (a), for the words "rupees forty-eight thousand", the words "rupees fifty thousand", and for the words "rupees four thousand", wherever occurring, the words "one-twelfth of rupees fifty thousand" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words, "sales or purchase tax" the words, "sales tax" shall be substituted; and

(e) sub-section (5) shall be omitted.

Amendment of section 9.

12. In section 9 of the principal Act, the following amendment shall be made and be deemed to have been made with effect from the first day of April, 1978 namely :—

(a) in sub-section (1) for the words, "dealer objecting to" the words, "dealer or any other person aggrieved by" shall be substituted;

(b) for sub-section (3-A) the following sub-section shall be substituted namely :—

“(3-A) The appellate authority may, on the application of the appellant, and after giving the Commissioner of Sales Tax a reasonable opportunity of being heard, stay the realization of the amount of tax, fee or penalty payable by such appellant:

Provided that—

(i) no application under this sub-section shall be entertained unless it is filed with the appeal under sub-section (1), and unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one-third of the disputed amount of tax, fee or penalty, as the case may be, in addition to the amount of tax or fee required to be deposited by him under sub-section (1) ;

(ii) the appellate authority may, for special and adequate reasons to be recorded in writing, waive or relax the requirement of the preceding clause regarding payment of the one-third amount of the tax, fee or penalty ;

(iii) no stay order under this sub-section shall remain in force for more than thirty days, unless the appellant has, before the expiry of the said period, furnished security to the satisfaction of the assessing authority for payment of the amount, the realization of which has been stayed.”

(c) in sub-section (6), for the words “appeals under this Act” the words “appeals or other applications under this section” shall be substituted.

13. In section 10 of the principal Act, for the words “an appeal or revision” wherever occurring the words “a revision” shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the first day of April, 1978.

Amendment of section 10.

14. For sections 11 and 11-A of the principal Act, the following sections shall be substituted namely :—

Substitution of sections 11 and 11-A.

“11(1) Any person aggrieved by an order made under sub-section (2) of section 10 may, within ninety days from the date of service of such order apply to the High Court for revision of such order on the ground that the case involves any question of law :

Provided that, where such order was served on the person concerned at any time before the date of the commencement of this section, as substituted by the Uttar Pradesh Taxation Laws (Amendment and Validation Act, 1978 (hereinafter in this section referred to as the said date), and the period of one hundred and twenty days for making the application as referred to in this sub-section, as it existed before the said date, had not expired on the said date the person aggrieved may apply for revision within sixty days from the said date.

(2) Any person aggrieved by an order made by the Revising Authority or an Additional Revising Authority refusing to state the case under this section, as it stood immediately before the said date, may, where the limitation for making an application to the High Court under sub-section, (4), as it stood immediately before the said date, has not expired, like-wise apply for revision to the High Court within a period of ninety days from the said date.

(3) Where an application under sub-section (1), or sub-section (3), as they stood immediately before the said date, was rejected by the Revising Authority or an Additional Revising Authority on the sole ground that the period of one hundred and twenty days for making the reference as specified in the said sub-section (1) has expired, such applicant may apply for revision of the order made under sub-section (2) of section 10, to the High Court within sixty days from the said date on the ground that the case involves any question of law.

(4) No application for revision under sub-section (1) or sub-section (2), shall be entertained, unless it is accompanied by a treasury challan showing a deposit of two hundred and fifty rupees under the Head 040—Sales Tax—Receipts under the Central/State Sales Tax Act—(4) other receipts :

Provided that no such deposit shall be necessary in the case of an application for revision by or on behalf of the Commissioner of Sales Tax.

(5) Every application for making a reference to the High Court under sub-section (1) or sub-section (3) as they stood immediately before the said date, pending before the Revising Authority or an Additional Revising Authority on the said date shall stand transferred to the High Court, and if the High Court is satisfied that a question of law is involved in the case, it may admit the same as a revision under this section and may dispose it of accordingly.

(6) Where the High Court has before the said date, required the Revising Authority or an Additional Revising Authority to state the case and refer it to the High Court under sub-section (4), as it stood immediately before the said date, such authority shall as soon as may be, comply with such requirement and thereupon such reference shall be deemed to be a revision under this section and shall be disposed of accordingly.

(7) The recovery of any tax, fee or penalty due in accordance with the order of the Revising Authority or an Additional Revising Authority sought to be revised, under this section shall not be stayed pending disposal of the application for revision but if the amount of such tax, fee or penalty is reduced as a result of the final order passed in such revision, the excess amount shall be refunded.

(8) The High Court shall, after hearing the parties to the revision, decide the questions of law involved therein, and where as a result of such decision, the amount or tax, fee or penalty is required to be determined afresh, the High Court may send a copy of the decision to the Revising Authority or Additional Revising Authority, as the case may be, for fresh determination of the amount, and such authority shall thereupon pass such orders as are necessary to dispose of the case in conformity with the said decision.

(9) The provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963 shall, *mutatis mutandis*, apply to every application for revision under this section.

Explanation—For the purpose of this section, the expression ‘any person’ includes the Commissioner of Sales Tax.”

Amendment of section 18.

15. In section 18 of the principal Act, for the figures “Rs.25,000”, wherever occurring, the figures “Rs.50,000” shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from the first day of April, 1978.

Amendment of section 22.

16. In section 22 of the principal Act, for sub-section (1) the following sub-sections shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted*, with effect from the first day of March, 1973, namely :—

“(1) The assessing, appellate, revising or additional revising authority may, on its own motion or on the application of the dealer or any other interested person, rectify any mistake apparent on the record within three years from the date of the order sought to be rectified :

Provided that where an application under this section has been made within the said period of three years, the authority concerned may dispose it of even beyond three years :

Provided further that no such rectification, as has the effect of enhancing the assessment, shall be made unless the authority concerned has given notice to the dealer or the person concerned of his intention to do so and has allowed him a reasonable opportunity of being heard.”

Amendment of first schedule.

17. In the First Schedule to the principal Act,—

(a) after the existing entry 67, the following entry shall be *inserted*, namely :—

I	II	III
“67—A	Palm Oil	M or I

(b) the existing entry 89 shall be *omitted* and be deemed to have been *omitted*, with effect from the first day of April, 1978.

Amendment of notifications.

18. (1) Government notification no. ST-II-334/X—1012-1971, dated November 15, 1971, shall be deemed to have been rescinded with effect from the first day of December, 1973.

(2) In Government notification no. ST-II-9060/X—11(2)-75, dated January 2, 1976, for the words “wire and wiremesh” the word “wiremesh” shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*.

(3) Government notification no. ST-II-9957/X—11(2)-75, dated February 6, 1978, shall be deemed to have been rescinded with effect from the date of its issue.

19. In rule 25-A of the U. P. Sales Tax Rules, 1948—

Amendment of
rule 25-A.

(1) in sub-rule (1), for the words "for issue of" the words "for the issue or renewal of", shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the first day of April, 1976";

(2) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted and be deemed to have been inserted with effect from the first day of April, 1978, namely:—

"(1-A) The application for the recognition certificate or its renewal shall, as from the assessment year 1978-79, be made for a period of three assessment years and the applications for subsequent renewals shall be made for every three years, hereinafter referred to as the triennial renewal :

Provided that a dealer, commencing business at any time after March 31, 1979, or whose recognition or renewal expires at any time before the expiry of the period of the triennial renewal, may apply for recognition certificate or its renewal, as the case may be, for such reduced period, as shall expire on such date, after which the next triennial renewal under the aforesaid provisions becomes due :

Provided further that the application for the renewal of recognition certificate for the period of three years, beginning from the first day of April, 1978, may be submitted by the thirtieth day of June, 1978."

(3) in sub-rule (3), for the words and figures "Rs. 50" and "Rs. 25", the words and figures "Rs. 100" and "Rs. 50" respectively, shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the first day of April, 1978;

(4) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :

"(5) Subject to the provisions of sub-rules (1-A) and (12), the recognition certificate shall take effect from the date of presentation of the application under sub-rule (1) or sub-rule (1-A), as the case may be."

(5) after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(12) The recognition certificates issued before April 1, 1976 shall cease to be effective on and from the said date, and the dealer concerned may apply for its renewal in accordance with the provisions of this rule :

Provided that an application for renewal for the assessment year 1976-77 or 1977-78 may be made by the thirtieth day of June, 1978, and in that event the renewal shall take effect from the first day of April of the assessment year concerned."

20. (1) Notwithstanding any judgment, decree or order of any court or authority, anything done or any action taken before the commencement of this section, which conforms to the provisions of the principal Act, as amended by this Chapter, shall be deemed to be and always to have been valid and lawful as if the provisions of this Chapter had been in force at all material times.

Validation and
transitory provisions.

(2) The assessing, appellate, revising or additional Revising Authority, as the case may be, may rectify any mistake occurring in an order passed by it, where such mistake has arisen due to an amendment made in the principal Act by this Chapter. Such rectification may be made within a period of one year from the commencement of this section, or within the period specified in section 22 of the principal Act as amended by this Act, whichever is later :

Provided that no rectification, which has the effect of enhancing the assessment, shall be made unless the authority concerned has given notice to the dealer or the person concerned, of his intention to do so and has allowed him a reasonable opportunity of being heard.

(3) Where, before the commencement of this section any court or authority has in any proceeding made any assessment, levy or collection of any tax under the principal Act, or passed any order modifying, setting aside or quashing (wholly or in part) such assessment, levy or collection, and such assessment or other order becomes, in consequence of the provisions of this Chapter, inconsistent with the

provisions of the principal Act as amended by this Chapter, then subject to the provisions of sub-section (2), any party to the proceeding or the Commissioner of Sales Tax may, within four months from the date of such commencement, make an application to such authority or court for a review of the assessment or order and thereupon such authority or court may review the proceeding and may make such order varying or revising the order previously made, as may be necessary to give effect to the provisions of this Chapter.

Explanation—For the purposes of sub-sections (1), (2) and (3), the provisions of sections 18 and 19 shall also be deemed to be amendments of the principal Act.

(4) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or authority,—

(a) the turnover in respect of—

(i) foodgrains including cereals and pulses, but excluding sawan, mandua, kakun and manjhri; and

(ii) crude oil.

shall, during the period from September 2, 1976 to September 10, 1976, be liable to tax at the point of sale to the consumer at the rate of four per cent; and

(b) the turnover in respect of woollen carpet yarn (including unspun woollen fibre popularly known as "Desi Kati") shall, during the period from April 1, 1966 to September 30, 1977, be liable to tax at the point of sale by the manufacturer or importer at the rate of two per cent.

(5) Notwithstanding anything contained in section 8-A of the principal Act, clauses (c) and (d) of sub-section (1-A) of the said section, as substituted by section 9 of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1976, shall be deemed to apply in relation to all applications for registration or renewal of registration in respect of the assessment year 1976-77, whether such application was made before or after the first day of April, 1976.

CHAPTER III

Amendment of the Indian Stamp Act, 1899

21. The provisions of this Chapter shall be deemed to have come into force on January 1, 1978.

Amendment of section 2 of Act II of 1899.

22. In section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 as amended in its application to Uttar Pradesh hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act clause (2⁷) shall be *omitted*.

Omission of section 3-AA.

23. Section 3-AA of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of section 11-A.

24. Section 11-A of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of section 64-A.

25. Section 64-A of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of Schedule I-B.

26. In Schedule I-B to the principal Act, Article 25-A shall be *omitted*.

CHAPTER IV

Miscellaneous

Repeal and Savings.

27. (1) The Uttar Pradesh Taxation Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 1977 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Acts, mentioned in Chapters II and III, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Acts, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.